रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215338
SG-DL-E-11012020-215338

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] दिल्ली, शनिवार, जनवरी 04, 2020/पौष 14, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 348

No. 03] DELHI, SATURDAY, JANUARY, 04, 2020/PAUSHA 14, 1941 [N.C.T.D. No. 348

भाग IV
Part IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली अभिलेखागार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

सं. फां. डीए–ए.14/5/2016–प्रशासन/3.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना का.आ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 11 जनवरी, 1993 की सं. फा. 2(5)/88/अभि./79 के अनुसार अधिसूचित तथा 01 अक्तूबर, 1996 की सं. फा. 2(22)/95–अभि./1126 के अनुसार संशोधित, उप–निदेशक (अभिलेखागार) के पद के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से संबंधित पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई गई के सिवाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में उप–निदेशक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**–(क) इन नियमों को दिल्ली अभिलेखागार विभाग में, उप–निदेशक (अभिलेखागार) के पद के भर्ती नियम, 2020 कहा जायेगा।

   (ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड तथा ग्रेड पे/उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा तथा योग्यता इत्यादिः**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 11 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यताः**—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विषेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्ष से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

7. **बचावः**— इन नियमों को किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	उप—निदेशक (अभिलेखागार)
2.	पदों की संख्या	01(2020)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	श्रेणी 'क', सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अलिपिकीय।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर—11 (67,700—2,08,700/—रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु—सीमा	लागू नहीं
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु—सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं ।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) व पदोन्नति]
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) व पदोन्नति] केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांवधिक या स्वायत्त निकायों/मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीः— क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

		(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 / स्तर–9 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष; अथवा (iv) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले **अनिवार्य** :– (1) राष्ट्रीय अभिलेखागार से आर्काइव्ज़ कीपिंग का डिप्लोमा। (2) अभिलेखीय संस्थान / संगठन में रिकॉर्ड के अनुरक्षण तथा प्रबंधन में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : मान्यताप्राप्त संस्थान से माइक्रो–सॉफ्ट ऑफिस में सर्टिफिकेट कोर्स। **नोट**:– ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स के स्तर–7 (44900–142400 / –रुपये) में विभागीय अभिलेखपाल और प्रतिनियुक्ति वालों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह / उसे पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है, उसको पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, दिल्ली –अध्यक्ष 2. प्रषासनिक सचिव, दिल्ली अभिलेखागार विभाग, दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष सचिव / अपर सचिव (सेवा), दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवष्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा / अभिलेखागार)

DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2020

No. F. DA-A014/5/2016-Administration/3.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affair's notification number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Deputy Director (Archives) notified vide notification No. F. 2(5)/88/Archives/79 dated 11th January, 1993 and amendment *vide* No. F. 2 (22)/95/Archives/ 1126 dated 1st October, 1996 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the prior consultation of the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.-**(1) These rules may called the Deputy Director (Archives), Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, itsclassification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns 5 to 11 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-**No persons, -

   (a) Whohas entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Government is of the opinion that itis necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post .	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection Post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for Direct Recruits.**
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Archives).	01* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	Government Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for Direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption Grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which, Union Public Service Commissionto be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years for promotees.	By composite method [Deputation (ISTC) plus promotion].	**Composite method [Deputation (ISTC) plus promotion]:** Officers from the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations /Public Sector Undertakings / Statutory or Autonomous Bodies/Recognized Universities/Recognized Research Institutes: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 /Level-9 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or (iv) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; AND (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** (I) Diploma in Archives Keeping from the National Archives of India. (II) Five years experience in maintenance and management of record in an Archival Institution/Organization.	Group-A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1.Chief Secretary, Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary of the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi - Member 3. Spl. Secretary/Additional Secretary (Services), Government of National Capital Territory of Delhi - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

			Desirable : Certificate Course in Micro-soft Office from Recognized Institution. **Note:-** The Departmental Archivist in Level-7 (Rs. 44900-142400)in pay matrix with seven years regular service in the grade and possessing educational qualifications and experience prescribed for deputationist will also be considered along with the outsiders and in case he/she is selectedfor appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Archives/ ACL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.11 15:14:37 +05'30'